



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2423]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940

No. 2423]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

**दि.मु.यो. 2021 के अनुसार आवासीय संपत्तियों, कॉर्पोरेटिव ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित उपयोग /व्यावसायिक स्ट्रीट्स एवं व्यावसायिक संपत्तियों (होटल एवं पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए बढे हुए एफ.ए.आर. हेतु लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण।**

**का.आ. 3172(अ).**—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा, का.आ. 2955(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

(आंकड़े रु. में प्रति वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र)

क्र.सं.	मद	उद्देश्य /कॉलोनी की श्रेणी	अधिसूचना के छः माह तक लागू दरें	अधिसूचना के छः माह बाद लागू दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(क) मिश्रित उपयोग के अंतर्गत बेसमेंट सहित आवासीय संपत्तियाँ, सुधार प्रभार के भुगतान की दरें/ नव-निर्माण के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार तथा अनधिकृत निर्माण के नियमन के लिए जुर्माना / कम्पाउंडिंग /स्पेशल कम्पाउंडिंग प्रभार।	(1) नव-निर्माण, (2) अनुमेय एफ.ए.आर. के अंदर अनधिकृत निर्माण का नियमन ए एवं बी कालोनियाँ सी एवं डी कालोनियाँ ई एफ जी एवं एच कालोनियाँ	4200/- 1680/-	9080/- 3632/-

		50 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट सहित आकार	840/-	1816/-
		50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट आकार सहित	588/-	1271/-
	(ख) मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय संपत्तियां जिनमें बेसमेंट शामिल हैं।	अनुमेय तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) के अंदर अतिरिक्त कवरेज के लिए दरें। बेसमेंट का उपयोग प्रोफेशनल / व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए करने से प्लॉट पर अनुमेय तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) बढ़ जाता है। ए एवं बी कालोनियाँ 4200/- सी एवं डी कालोनियाँ 1680/- ई एफ जी एवं एच कालोनियाँ 840/- जिनके प्लॉट का आकार 50 वर्ग मीटर से अधिक है। 588/- जिनके प्लॉट का आकार 50 वर्ग मीटर तक है।		9080/- 3632/- 1816/- 1271/-
2.	(ग) सहकारी समूह आवास सोसायटियों के लिए अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.), जिसके लिए दि.वि.प्रा. द्वारा भूमि आबंटित की गई थी।	ए एवं बी कालोनियाँ सी एवं डी कालोनियाँ ई एफ जी एवं एच कालोनियाँ	4200/- 1680/- 840/-	9080/- 3632/- 1816/-
3.	(घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद आवासीय क्षेत्रों के लिए सुधार प्रभार /अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार और जुर्माना कम्पाउंडिंग प्रभार /विशेष कम्पाउंडिंग प्रभारों की दरें।	1). नया निर्माण 2). अनुमेय तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) के अंदर अनधिकृत निर्माण का नियमन	4200/-	9080/-
4.	व्यावसायिक संपत्तियों के लिए अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात हेतु दरें (होटल और पार्किंग प्लॉटों को छोड़कर)	क) स्थानीय बाजार, सुविधा बाजार और दुकान एवं आवास /परिसर /दुकान प्लॉटों के लिए ए और बी कालोनियाँ 18160/- सी और डी कालोनियाँ 7264/- ई एफ जी एवं एच कालोनियाँ 3632/- ख) समाज सदनों, जिला केन्द्रों और महानगर केन्द्रों, अश्रृंखला बद्ध व्यावसायिक केन्द्रों, केन्द्रीय व्यापार जिला केन्द्रों के लिए ए और बी कालोनियाँ 36320/- सी और डी कालोनियाँ 14528/- ई एफ जी एवं एच कालोनियाँ 7264/-		18160/- 7264/- 3632/- 36320/- 14528/- 7264/-

अधिसूचना की तिथि से छः माह की विंडो अवधि के दौरान आवासीय /मिश्रित उपयोग /व्यावसायिक स्ट्रीट्स पर परिसरों के स्वामी /आवंटिती /निवासी /उपयोगकर्ता कॉलम 4 में दर्शाई गई दरों पर तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद लागू दरों का भुगतान किया जाएगा, जैसा कॉलम 5 में दर्शाया गया है। भवन अनुमति के अनुमोदन /संस्वीकृति की तिथि को यथा लागू अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) की दरें प्रभार्य (चाजेंबल) होंगी।

कॉलम 5 में दर्शाई गई दरें, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इन्हें आगे संशोधित और अधिसूचित किए जाने तक लागू रहेंगी।

[फा. सं. एफ2(14)2017-18/ए.ओ.(पी)/डी.डी.ए.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2018

**Fixation of rates to be applied for enhanced FAR for residential properties, Coop. Group Housing, Mixed Use/ Commercial streets and commercial properties (excluding hotel and parking plots) arising out of MPD 2021**

**S.O. 3172(E).**—In exercise of powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following modifications to notification vide S.O. 2955(E) dated 23<sup>rd</sup> December, 2008: —

(Figure in ` per sq.mtr built up area)

Sl.No.	Item	Purpose/category of colony	Applicable Rates upto six months of Notification	Applicable Rates after six months of Notification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(a) Residential properties. Including for basement under Mixed use rates of payment of betterment levy-/additional FAR charges for new construction and penalty/compounding/special compounding charges for regularization of unauthorized construction.	(1) <u>New Construction</u> , (2) <u>Regularization of Unauthorised construction</u> within permissible FAR A & B colonies C&D colonies EFG&H colonies With plot size more Than 50 Sqm. With plot size up to 50 Sqm.	4200/- 1680/- 840/- 588/-	9080/- 3632/- 1816/- 1271/-
	(b) Residential properties including for basement under Mixed use	The rates for additional coverage within permissible FAR-use of basement for professional/commercial activities leading to excess permissible area on the plot.		

		A & B colonies C&D colonies EFG&H colonies With plot size more Than 50 Sqm. With plot size up to 50 Sqm.	4200/- 1680/- 840/- 588/-	9080/- 3632/- 1816/- 1271/-
2.	(c) Addl. FAR charges for cooperative Group Housing Societies for which land was allotted by DDA	A & B colonies C&D colonies EFG&H colonies	4200/- 1680/- 840/-	9080/- 3632/- 1816/-
3.	(d) Rates for betterment levy/Additional FAR charges and penalty/compounding charges/special compounding charges for New Delhi Municipal Council residential areas	<u>1) New Construction,</u> <u>(2) Regularization of Unauthorized construction within permissible FAR.</u>	4200/-	9080/-
4.	Rates for additional FAR for commercial properties (excluding hotel and parking plots)	A) For Local Shopping Centre, Convenient Shopping Centre and Shop-cum-Residence complexes (Shop-cum- residence plots/shop plots) A & B colonies C&D colonies EFG&H colonies B) For Community Centres, District Centres and Metropolitan City Centres, Non-hierarchical commercial centres, Central Business District Centres. A & B colonies C&D colonies EFG&H colonies	18160/- 7264/- 3632/- 36320/- 14528/- 7264/-	18160/- 7264/- 3632/- 36320/- 14528/- 7264/-

During the window period of six months from the date of notification, the owners/allottees/ residents/users of the premises on Residential/Mixed use/Commercial streets can avail the FAR at the rates shown in column 4 and thereafter the applicable rates will be payable as shown in column 5. The rates of additional FAR as applicable on the date of approval/sanction of Building Permit shall be chargeable.

The rates shown in Column 5 shall remain in force till these are further modified and notified with the approval of the Central Government.

[F. No. F2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR Commissioner-cum-Secy.